

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 18161

01 11 2024

विषय: IS 18161 : 2023 (वस्त्रादि 50 किग्रा सरसों बीज नाइजर बीज और रागी की पैकिंग के लिए हल्के भार वाले पटसन के बोरे— विशिष्टि में संशोधन संख्या 3 का कार्यान्वयन)।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 18161 : 2023 में संशोधन संख्या 3 प्रकाशित हो चुकी है । IS 18161 : 2023 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 18161 : 2023 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और 10 अप्रैल 2025 तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना) वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 18161 01 11 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 3 to Indian Standard 18161: 2023 (Textiles Light Weight jute Sacking Bags for packing 50 kg Mustard Seed, Niger Seed and Ragi—Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 3 to IS 18161: 2023 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 3 to IS 18161: 2023 is **10 April 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **10 April 2025**

(Harish Meena) Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices